

**THE BUSINESS DAILY**

**FOR DAILY BUSINESS**

**FINANCIAL EXPRESS**  
Read to Lead

## प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कंपनी) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कोपरिस्ट कार्यालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मागले में

**राइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**  
(सीआईएन:U24304DL2016PTC030605)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 222, धर्म कुंज अपार्टमेंट, रोहिणी, सेक्टर-9, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली, भारत - 110085 में है, के नामले में

...आवेदक कंपनी/प्राधिकृतकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" के "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेअंड और एग्रीमेंट्स में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या जो निवेशक शिकायत प्रकरण फाइल कर एनसीआई-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

**राइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता/-

निमित्त निदेशक

(नियंत्रक)

दिनांक: 24.04.2026

स्थान: नई दिल्ली

सीआईएन: 06629584

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

**बाजार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कांफेरेन्स कार्यालय: सेक्टर आईटी फार्म बी-2 बिल्डिंग, 8वां फ्लोर, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411 014, रायवा कार्यालय: 451, गुरुकुल उच्च अकादमी, निवेशक टावर, मेलाडी सुभाष पैलेड, पौनपुर, नई दिल्ली-110034, प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: नाम: अजय मिश्रा/ ईमेल आईडी: ajay.mishra@bajajhousing.co.in/ मोबा: नं +91 88597233149/9806531848

**परिचित IV.1. अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

वित्तीय आरंभिकों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तिगों की बिक्री के संबंध में ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा सार्वजनिक रूप से कर्जदार (कर्जदारों) और गारंटर (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका मौलिक कच्चा बाजार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, बाजार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बिक्री के लिए, बाजार ब्याज, शुल्क और लागत आदि की बसुली के लिए "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो कुछ है वहां है" और "कोई आशय नहीं आया पर" बेची जाएगी। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों का विवरण एवं ऋण का विवरण	अचल सम्पत्ति का वर्णन	ई-नीलामी का विवरण
जैन नंबर H4011HHL1076130 और H4011HHL1081745 1. मनोज कुमार (कर्जदार) 2. जो 131 बड़े/अनाम, रोड फ्लाई हाउस चमकी कम सीढ़ी, दिल्ली-110005 2. पूरव सिंह (सह-कर्जदार) 3. मीनव (सह-कर्जदार) 2 एवं 3 का पता: नॉलेट नंबर 123, बरोवनाला	मिन्न वर्गमानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी और एवं खंड: एलेट नंबर एच एक - 3, द्वितीय तल (एगमाईनी), (पीछे आई और), छत के अधिकार के साथ, कर्जदार एरिया 51.08 वर्ग मीटर यानी 550 वर्ग फीट, जो एलेट नंबर सी-1/58, बीएलएफ अंशुर, विहार सावुलगाव/लौकी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश-201102, 201102 पर निर्मित है।	ई-नीलामी तिथि :- 12-05-2026 पूर्वा 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे की बीच, 5 मिनट के अवधि विस्तार के साथ क्रेडेंसील के साथ धरोहर राशि (इंग्रैडी) जमा करने की अंतिम तिथि :- 11-05-2026 पूर्वा 5:00 बजे तक (आईएनटी) निश्चय की तिथि: 25-04-2026 से 11-05-2026 पूर्वा 11:00 बजे से अप 4:00 बजे (आईएनटी) के बीच सूचकित मूल्य: अचल सम्पत्ति के लिए रु. 14,40,000/- (एक करोड़ चालीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा रु. 1,44,000/- (एक करोड़ चालीस हजार मात्र) नौ बजार छह बी नम्बर मात्र) 22-04-2026 तक की सूची - रु. 25,000/- (एक करोड़ चालीस हजार मात्र) एवं इसके गुणों में
रोड, निवेष्टक और निवेशक, दिल्ली-110005 काका राशि रु. 25,72,394/- (एक करोड़ पचास हजार मात्र)	हजार तीन बी बीनारी मात्र) 18-04-2026 तक + 18-04-2026 से आगे उद्भूत मात्र और प्रभार	

**संबंधित नीलामी के लिए एवं की नियुक्त है:**

- प्रतिभूत अधिकारी का नियम सुचकित मूल्य से कम पर नही किया जाएगा।
- नीलामी बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन होगी।
- ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://bankauctions.in> के माध्यम से 25-05-2026 को पूर्वा 11:00 बजे से मध्य 12:00 बजे तक और अप 5 मिनट प्रत्येक के अवधि विस्तार के साथ सम्पन्न होगी।
- विस्तृत नियम एवं सूची के लिए कृपया कम्पनी की वेबसाइट पर जाएँ <https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notice> एवं अचल बिक्री सम्पत्ति के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

दिनांक: 25-04-2026 स्थान: दिल्ली/एनएच

## प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कंपनी) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कोपरिस्ट कार्यालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मागले में

**राइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**  
(सीआईएन:U24304DL2016PTC030605)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 222, धर्म कुंज अपार्टमेंट, रोहिणी, सेक्टर-9, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली, भारत - 110085 में है, के नामले में

...आवेदक कंपनी/प्राधिकृतकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" के "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेअंड और एग्रीमेंट्स में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या जो निवेशक शिकायत प्रकरण फाइल कर एनसीआई-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

**राइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता/-

निमित्त निदेशक

(नियंत्रक)

दिनांक: 24.04.2026

स्थान: नई दिल्ली

सीआईएन: 06629584

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

# एक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एक्सेस सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010

रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिगुल), तृतीय तल, सम्राटशेखर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, ओहोहाहाहा, एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिर्फोनिशियन एण्ड रिस्कट्यूशन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एण्ड एफोर्सिड ऑफ सिस्कोरिटी इंटरनेट एण्ड 2002 के अंतर्गत तथा सिस्कोरिटी इंटरनेट (होफोर्सिड) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एण्ड की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया गया। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओहोहाहाहा ने उक्त उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एण्ड की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा साधना किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुबंधी व्याज, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉडेगज के निष्पादनी होना। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानकर्ता का ध्यान सफेसी एण्ड की धारा 13(6) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बंधक सम्पत्ति को रीडीम (मौचन) कर सकते हैं।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

**राइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता/-

निमित्त निदेशक

(नियंत्रक)

दिनांक: 25.04.2026

स्थान: नई दिल्ली

सीआईएन: 06629584

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक

राज्य निदेशक